

न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)

{समक्ष-अमित कुमार गुप्ता}

व्यवहार वाद क० 34 ए/2017

संस्थित दिनांक 28.01.16

श्रीमती उमादेवी पुत्री स्व० श्री भोगीराम
पत्नी श्री उमाशंकर दुबे, जाति ब्राह्मण उम्र 49 साल
निवासी ग्राम नावली पर० गोहद जिला भिण्ड
हाल निवास सिंहपुर रोड मुरार ग्वालियर म०प्र०

.....वादी

विरुद्ध

1. शिवनारायण आयु 62 साल पुत्र स्व० श्री भोगीराम
2. श्रीनारायण आयु 52 साल पुत्र स्व० श्री भोगीराम
3. श्रीमती भूरीबाई आयु 64 साल पत्नी स्व० श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
4. संतोषकुमार आयु 44 साल पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
5. शिवकुमार आयु 40 साल पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
6. विनोदकुमार आयु 38 साल पुत्र स्व० श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा
7. श्रीमती सुनीतादेवी आयु 50 साल पत्नी स्व० श्री कैलाशनारायण शर्मा
8. श्रीमती आरती पुत्री स्व० श्री कैलाशनारायण शर्मा आयु 29 साल
9. पूजा आयु 23 साल, पुत्री स्व० श्री कैलाशनारायण शर्मा
10. गोविंद आयु 22 साल पुत्र श्रीनारायण शर्मा
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम नावली पर गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०
11. श्रीमती ग्यादेवी आयु 60 साल पुत्री स्व० श्री भोगीराम शर्मा
पत्नी स्व० श्री रामनिवास खुरासिया, निवासी ग्राम नावली
परगना गोहद हाल निवासी खुरासिया का वाडा वार्ड क्र० 15
सती बाजार गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
12. छविराम आयु 62 साल पुत्र स्व० श्री रामकिशन शर्मा
13. शिवदयाल आयु 66 साल पुत्र स्व० श्री रामकिशन शर्मा
14. श्रीमती मुन्नीदेवी आयु 52 साल पत्नी स्व० श्री कृष्णगोपाल शर्मा
15. रविकान्त आयु 34 साल पुत्र स्व० श्री कृष्णगोपाल
16. सतेन्द्र आयु 26 साल पुत्र स्व० श्री कृष्णगोपाल
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण ग्राम नावली पर० गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०
17. म०प्र० शासन द्वारा कलेक्टर मण्डल भिण्ड म०प्र०

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पी०एन० भट्टेले।

प्रतिवादी क्र० 1, 2, 7, 10, 12 लगायत 16 द्वारा अधिवक्ता श्री विजय श्रीवास्तव।

प्रतिवादी क्र० 3 लगायत 6, 8, 9, 11 व 17 पूर्व से एकपक्षीय।

:::: निर्णय ::::

(आज दिनांक— 31.01.2018 को उद्घोषित)

यह वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बावत् भूमि सर्वे क्र० 1296 रकबा 0.042, सर्वे क्र० 1297/1 रकबा 0.052 तथा सर्वे क्र० 1298/1 रकबा 0.195 हे० स्थित मौजा गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र० में 1/12 (जिसे अत्र पश्चात् "विवादित भूमि" कहा जायेगा), एवं भवन क्र० 211 स्थित गोहद बरथरा गेट वार्ड क्र० 15 में 1/6 भाग जिसे वाद पत्र संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाया गया है (जिसे अत्र पश्चात् "विवादित भवन" कहा जायेगा), के संबंध में प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 11 एक ही परिवार के सदस्य हैं। यह भी स्वीकृत है कि वादी एवं प्रति०क्र० 1, 2 व 11 के पिता भोगीराम की मृत्यु सन 1999 में हो चुकी है।

3. वाद पत्र के सुसंगत अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि विवादित भूमि एवं मकान वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज भोगीराम व रामकिशन पुत्रगण तुलसीराम की समान रूप से 1/2 – 1/2 भाग की संपत्ति थी। उनके पितृ पुरुष स्व० तुलसीराम थे और तुलसीराम के दो पुत्र भोगीराम और रामकिशन थे। वादी एवं प्रतिवादीगण भोगीराम की संतानें एवं संतानों की संतानें हैं। वादी स्व० भोगीराम की पुत्री है तथा प्रति०क्र० 1, 2 उसके सगे भाई हैं, अन्य दो सगे भाई लक्ष्मीनारायण तथा कैलाश नारायण भी थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है। वादी एवं प्रति०क्र० 1 व 2 की एक सगी बहन गयादेवी है, शेष वादी के भतीजे व भतीजी हैं। विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की सदस्य के नाते वादी का विवादित भवन एवं भूमि में पिता स्व० भोगीराम के हिस्से के 1/6 भाग का हक व कब्जा है। प्रति०क्र० 1 व 2 वादी के अधिकार को समाप्त कर उसे हड़पने के लिए पटवारी से मिलकर विवादित भूमि के संबंध में अपना नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करा लिया है एवं भवन के संबंध में भी नगर पालिका गोहद में अवैध रूप से कार्यवाही करा ली है। जब प्रति०क्र० 1 व 2 द्वारा विवादित भूमि को अन्य लोगों को विक्रय करने की जानकारी वादी को हुई तब उसने अपना हिस्सा न बेचने को दिनांक 28.09.15 को कहा तो प्रतिवादी क्र० 1 व 2 ने कहा कि तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। वादी प्रतिवादीगण पर भरोसा रखती थी। उन्होंने वादी को पिता की संपत्ति में 1/6 भाग दर्ज कराने का भरोसा दिया था किन्तु छल पूर्वक भोगीराम के वैध वारिसानों को छिपाते

हुए अवैध रूप से इन्द्राज करा लिया। विवादित भूमि में प्रति०क्र० 10 का कोई हक व हिस्सा नहीं हैं क्योंकि वह प्रति०क्र० 2 का पुत्र है। प्रति०क्र० 1 व 2 की बेईमानीपूर्वक नियत हो गयी इसलिए उन्होंने वादी को विवादित भूमि व भवन विक्रय करने की धमकी दी। जानकारी होने पर वादी ने एक अपील 16/14 में पक्षकार बनने हेतु आवेदन दिया जो कि दिनांक 05.12.15 को निरस्त कर दिया गया और निर्देशित किया कि वह अपने हक का प्रथक दावा कर सकती है। अतः उपरोक्तानुसार सहायता चाही है।

4. प्रति०क्र० 1, 2 व 12 लगायत 16 की ओर से संयुक्त रूप से जबाव दावा प्रस्तुत कर वादपत्र के अभिवचनों का प्रत्याख्यान करते हुए अभिवचन किया कि विवादित भवन एवं भूमि में कोई भी हित वादी का नहीं हैं। विवादित संपत्ति संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति नहीं हैं क्योंकि पिता भोगीराम ने अपने जीवनकाल में वसीयतनामा व पारिवारिक व्यवस्था कर प्रति०क्र० 1 व 2 को कृषि भूमि एवं प्रति०क्र० 10 के पक्ष में भवन की वसीयत कर दी। वह स्वअर्जित संपत्ति है। भोगीराम की मृत्यु के बाद नगरपालिका अभिलेख में प्रति०क्र० 10 का नाम दर्ज है व विवादित भूमि पर प्रति०क्र० 1 व 2 का नाम दर्ज है, वादी का उस पर कभी कब्जा व बर्ताव नहीं रहा है। सजरा खानदान के संबंध में आपत्ति न करते हुए विवादित भूमि एवं भवन के संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति न होने एवं वादी को उसकी सदस्य न होने का तथ्य लेख किया है क्योंकि वादी का विवाह 35 वर्ष पूर्व हो चुका है वह अपने ससुराल में निवास कर रही है। विवादित भूमि व भवन में वादी का कोई जन्मजात अधिकार नहीं हैं, विवाह के बाद अपना हक त्यागकर ससुराल चली गयी और कोई भी लाभ प्राप्त नहीं किया। कृषि भूमि एवं भवन के संबंध में विधिवत नामांतरण कार्यवाही की गयी जो किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गयी। इस प्रकार से संपत्ति प्रतिवादीगण की स्वअर्जित है। दिनांक 28.09.15 को वादी से कोई भी विक्रय की बातचीत नहीं हुई। वादी ने वाद कारण बनाने के लिए असत्य वाद कारण दर्शाया है इस कारण से वाद अवधि बाह्य है। वादी ने अपर्याप्त मूल्यांकन कर कम न्यायशुल्क प्रस्तुत की है साथ ही कब्जा वापसी की सहायता नहीं चाही है इस कारण से वाद प्रचलन योग्य नहीं हैं। अतः वाद सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की है।

5. प्रति०क्र० 7 एवं 10 ने प्रथक से जबाव दावा प्रस्तुत कर अभिवचन करते हुए लेख किया कि विवादित भूमि व भवन संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित संपत्ति नहीं हैं क्योंकि पिता भोगीराम द्वारा जीवनकाल में ही वसीयत एवं पारिवारिक व्यवस्था करके कृषि भूमि प्रति०क्र० 1 व 2 को एवं विवादित भवन प्रति०क्र० 10 के नाम कर दिया। स्व० भोगीराम की मृत्यु के बाद उपरोक्तानुसार ही प्रतिवादीगण का नामांतरण हुआ। वादी का विवादित भूमि में कोई भी कब्जा व बर्ताव नहीं हैं। विवाह के बाद उसका हक स्वयं समाप्त हो जाता है। शेष प्रतिवादीगण के जबाव दावे के समान ही आपत्ति /आक्षेप करते हुए वाद सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया।

6. उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद प्रश्न निम्नानुसार विरचित किये गये, जिनका निष्कर्ष विवेचन उपरांत उनके समक्ष दिया जायेगा—

क्र०	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या भूमि सर्वे क्रमांक 1296 रकबा 0.042 हे०, सर्वे क्र० 1297/1 रकबा 0.052 हे०, 1298/1 रकबा 0.195 हे० स्थित मौजा गोहद जिला भिण्ड एवं कस्बा गोहद वार्ड नं० 15 बरथरा गेट स्थित भवन क्रमांक 211 वादी एवं प्रतिवादी क्र० 1 लगायत 16 की संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक संपत्ति है ?	“विवादित भूमि एवं भवन में पिता स्व० भोगीराम की 1/2 भाग की स्वअर्जित संपत्ति होने से वादी उत्तराधिकार के नाते हकदार है”
2	क्या उक्त वादग्रस्त भूमि व भवन में भोगीराम के 1/6 भाग की वादिया स्वामी व आधिपत्यधारी है ?	“वादी पिता स्व० भोगीराम के 1/2 भाग में से 1/7 अर्थात् 1/14 भाग की स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्यधारी है”
3	क्या उक्त वादग्रस्त संपत्ति में वादिया के 1/6 भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है ?	“संयुक्त आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है”
4	क्या क्या वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क संदाय किया गया है ?	“हां”
5	क्या वाद परिसीमा अवधि में पेश किया गया है ?	“हां”
6	क्या घोषणा के लिए वाद धारा 34 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के अधीन पोषणीय है ?	“ पोषणीय है”
7	क्या भोगीराम द्वारा विवादित भवन की वसीयत दि० 22.03.99 प्रतिवादी क्रमांक 10 के पक्ष में की गयी थी ?	“ ना साबित”
8	सहायता एवं व्यय ?	“पैरा 16 के अनुसार वाद आज्ञाप्त”

सकारण निष्कर्ष

7. प्रकरण में वादी की ओर से स्वयं वादी उमादेवी वा०सा० 1, रायसिंह वा०सा० 2, मनोज तिवारी वा०सा० 3, को परीक्षित कराया गया है जबकि प्रतिवादीगण की ओर से प्रति क्र० 2 श्रीनारायण प्रति०सा० 1, शिवदयाल शर्मा प्रति०सा० 2, अजय खुरासिया प्रति०सा० 3 व श्रीमती सुनीता प्रति०सा० 4 के रूप में परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजों में वादी की ओर से खतौनी वर्ष 2017-18 प्र०पी० 1, खसरा वर्ष 2017-18 प्र०पी० 2 लगायत 5, न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद के व्यवहार वाद क्र० 4ए/12 में पारित निर्णय दिनांक 29.04.14 की प्रमाणित प्रति प्र०पी० 6 के रूप में प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण की ओर से वसीयतनामा प्र०डी० 1, पारिवारिक समझौता प्र०डी० 2, अनुबंधपत्र प्र०डी० 3, नगर पालिका गोहद का सूचना पत्र प्र०डी० 4, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश गोहद की अपील 16/14 अपील दीवानी में पारित राजीनामा आदेश दिनांक 12.12.15 प्र०डी० 5, राजीनामा डिक्री प्र०डी० 6, राजीनामा आवेदन प्र०डी० 7 के रूप में प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

// वाद प्रश्न क्र० 1, 2 व 7 का निष्कर्ष //

8. तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु उक्त वादप्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में जहां वादी ने विवादित भूमि एवं भवन को उसके संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक संपत्ति होने के संबंध में आधार लेते हुए उक्त भूमि में अपना 1/6 भाग का स्वामित्व होने का तथ्य लेख किया है। प्रकरण में वादी की ओर से ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जो विवादित भूमि उनके पूर्वज तुलसीराम के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि के रूप में दर्शाता हो। प्रतिवादीगण ने विवादित भूमि एवं भवन को स्व० भोगीराम की स्वअर्जित संपत्ति होने के संबंध में अभिवचन एवं साक्ष्य प्रस्तुत की है। भोगीराम की मृत्यु के उपरांत कृषि भूमियों पर वर्तमान में भी राजस्व अभिलेख में भोगीराम एवं रामकिशन पुत्रगण तुलसीराम के नाम भूमि अभिलेख में दर्ज होने का तथ्य प्र०पी० 1 लगायत 5 के खसरा व खतौनी दस्तावेजों से स्पष्ट है। शिवदयाल प्रति०सा० 2 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में विवादित भूमि एवं भवन पिता द्वारा क्रय किए जाने का कथन करते हैं। उक्त कथन प्रतिवादीगण के प्रति बाध्यकर स्वीकृति के रूप में हैं। वादी की ओर से संपत्ति सहदायिकी पैत्रिक संपत्ति हो, इसका कोई आधार प्रस्तुत नहीं है। ऐसी दशा में विवादित भवन एवं भूमि स्व० भोगीराम की स्वअर्जित संपत्ति के रूप में स्पष्ट प्रमाणित हो रही है।

9. स्व० भोगीराम की मृत्यु सन 1999 में हो जाने का तथ्य अभिलेख पर है। स्व० भोगीराम द्वारा विवादित संपत्ति के संबंध में वादी के अभिवचन एवं साक्ष्य के अनुसार कोई भी संपत्ति हस्तांतरित किए जाने हेतु कार्यवाही स्व० भोगीराम ने की हो, इस तथ्य का प्रत्याख्यान किया है। प्रतिवादीगण ने भोगीराम द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित भूमि प्रति०क्र० 1 व 2 के पक्ष में हस्तांतरित कर देने और अपने जीवन काल में ही वसीयतनामा प्र०डी० 1 के अनुसार विवादित भवन प्रति०क्र० 10 गोविंद को वसीयत कर देने के संबंध में तथ्य लेख किया है। प्रति०क्र० 1 व 2 को विवादित भूमि हस्तांतरित की हो, इस संबंध में प्रति०क्र० 1 व 2 ने कोई भी दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नहीं किया है। स्वयं श्रीनारायण प्रति०सा० 1 ने विवादित जमीन में सब भाईयों का हिस्सा होने का कथन किया है। विवादित भूमि का बंटवारा कर दिए जाने और 10 रुपये के स्टाम्प पर लिख जाने का कथन कण्डिका 8 में किया है, किन्तु दिनांक याद न होना बताया है। प्रकरण में 10 रुपये के स्टाम्प पर अनुबंध पत्र प्र०डी० 3 के रूप में अभिलेख प्रस्तुत किया गया है जिसमें दिनांक 28.04.95 को भोगीराम द्वारा भूरी देवी एवं विनोद कुमार अर्थात् प्रति०क्र० 3 व 6 के पक्ष में अनुबंध पत्र किए जाने का तथ्य दर्शित है। उक्त भूरीदेवी और विनोद कुमार द्वारा कालान्तर में प्रति०क्र० 1, 2 व अन्य वारिसानों के विरुद्ध प्र०पी० 6 का व्यवहार वाद 4ए/12 प्रस्तुत किया गया था जो कि दिनांक 29.04.14 को निराकृत हुआ, तत्पश्चात् प्रतिवादी के दस्तावेज में प्र०डी० 5 आदेश दिनांक 12.12.15 के अनुसार उक्त निर्णय राजीनामा के आधार पर अपास्त किया जा चुका है। साथ ही सर्वप्रथम तो अनुबंधपत्र में प्रति०क्र० 1 व 2 के पक्ष में कोई हित दिए गए हों, ऐसा अभिलेख पर नहीं है। व्यवहार वाद 4ए/12 में वादी पक्षकार भी नहीं हैं ऐसे में न तो वादी पर प्रतिवादीगण के मध्य की गयी कार्यवाही बाध्यकारी है और

न हीं स्व० भोगीराम द्वारा उसके जीवनकाल में विवादित भूमि के संबंध में कोई भी हस्तांतरण प्रमाणित होता है।

10. प्रकरण में विवादित भवन के संबंध में प्र०डी० 1 की वसीयत प्रस्तुत की गयी है जिसके संबंध में उसे प्रदर्शित कराए जाने के समय ही वादी की ओर से आपत्ति की गयी थी तब न्यायालय द्वारा दस्तावेज को विधि अनुसार प्रमाणित किए जाने के भार के अधीन प्रदर्श अंकित करने की अनुमति प्रदान की थी। वसीयतनामे के प्रतिपादक सर्वप्रथम यह सिद्ध करने हेतु आबद्ध होते हैं कि वसीयतकर्ता द्वारा उनके पक्ष में वसीयतनामा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 व 63 तथा साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 67, 68, 45 व 47 के अनुसार संदेहपूर्ण परिस्थितियों से परे होकर वसीयतनामे की अंतिम इच्छा का प्रमाण होकर उसकी इच्छा व स्वस्थ चित्त मानसिक अवस्था में निष्पादित किया गया दस्तावेज है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 68 के अंतर्गत दस्तावेज को प्रमाणित किए जाने हेतु उपबंधित विधि का उल्लेख किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधि० की धारा 68 निम्न प्रकार से उपबंध करती है—

ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है—“यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा, जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अध्याधीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो।

परंतु ऐसी किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए जो बिल नहीं हैं और भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक न होगा, जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्यित है, विनिर्दिष्टतः न किया गया हो।”

11. प्रकरण में प्र०डी० 1 का वसीयतनामा सर्वप्रथम तो पंजीकृत दस्तावेज नहीं हैं, द्वितीयतः उसे प्रमाणित किए जाने हेतु कोई भी अनुप्रमाणक साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्वयं भोगीराम की मृत्यु हो चुकी है। वसीयतनामे के साक्षी हरनारायण व प्रेमनारायण लेख किए गए हैं। यदि प्रतिपादक अर्थात् प्रतिवादी पक्ष उन साक्षियों को प्रस्तुत करने में अस्मर्थ था और यदि उनकी मृत्यु हो चुकी थी तो उनके हस्तलेख व हस्तलिपि से परिचित व्यक्ति अथवा वसीयतनामे के लेखक के माध्यम से उसे प्रमाणित कराया जा सकता था। प्रकरण में प्र०डी० 1 का वसीयतनामा मात्र प्रस्तुत हो जाने से प्रमाणित नहीं हो जाता है। दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता श्रीनारायण प्रति०सा० 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में वसीयतनामे के संबंध में कोई जानकारी न होना बताते हैं। जहां तक पारिवारिक समझौता

प्र०डी० 2 का प्रश्न है तो वह वाद प्रस्तुत किए जाने की दिनांक के पश्चात् का प्रतिवादीगण के मध्य का है ऐसे में वह वादी के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करता है।

12. प्रकरण में स्वयं प्रतिवादी क्र० 2 श्रीनारायण प्रति०सा० 1 प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 9 में स्वीकार करते हैं कि उनके पिता स्व० भोगीराम की जमीन में वादी उमादेवी का 1/6 हिस्सा है, स्वतः कथन करते हैं कि उनकी माँ का भी हिस्सा बैठता है, जो अभी जीवित हैं। शिवदयाल प्रति०सा० 2 कण्डिका 4 में स्वीकार करते हैं कि भोगीराम की जमीन पर उमादेवी का हिस्सा है। सुनीता प्रति०सा० 4 कण्डिका 3 में स्वीकार करती हैं कि उनके पिता की संपत्ति में पुत्रियों का भी हक है। प्रतिवादीगण की उक्त स्वीकृति के आधार पर एवं विवादित भूमि एवं भवन के स्व० भोगीराम की 1/2 भाग की संपत्ति होने के तथ्य के संबंध में अन्य किसी साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रह जाती है। जहां तक श्रीनारायण प्रति०सा० 1 ने उसकी माँ के जीवित होने का कथन किया है, ऐसी स्थिति में उमादेवी का विवादित भूमि एवं भवन में संयुक्त रूप से अपने भाई-बहनों एवं माँ के साथ 1/14 भाग का स्वामित्व होना प्रमाणित है। अतः वादप्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष "विवादित भूमि एवं भवन में पिता स्व० भोगीराम की 1/2 भाग की स्वअर्जित संपत्ति होने से वादी उत्तराधिकार के नाते हकदार है" तथा वाद क्रमांक 2 का निष्कर्ष "वादी पिता स्व० भोगीराम के 1/2 भाग में से 1/7 अर्थात् 1/14 भाग की स्वामित्व व संयुक्त आधिपत्यधारी है," के रूप में दिया जाता है। वाद प्रश्न क्रमांक 7 का निष्कर्ष "नासाबित" के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्र० 3 व 6 का निष्कर्ष //

13. वादी का अपने भाई, बहन तथा माँ के साथ विभाजन के प्रमाण के अभाव में संयुक्त रूप से स्व० भोगीराम के हिस्से 1/2 भाग में संयुक्त आधिपत्य के रूप में होने का अभिवचन किया है। प्रतिवादीगण ने वादी के आधिपत्य का प्रत्याख्यान किया है। चूंकि प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन का तथ्य अभिलेख पर प्रमाणित नहीं है इस कारण से प्रकरण में संयुक्त रूप से वादी के आधिपत्य की उपधारणा का आधार उत्पन्न होता है। वादी ने उसके संयुक्त आधिपत्य में हस्तक्षेप किए जाने और प्रति०क्र० 1 व 2 द्वारा बेचने के संबंध में अभिवचन एवं साक्ष्य प्रस्तुत की है। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के उक्त साक्ष्य को प्रतिपरीक्षण में कोई चुनौती नहीं दी है। प्रकरण में यह तथ्य प्रतिवादीगण के प्रस्तुत दस्तावेजों से दर्शित है कि उनके द्वारा प्रतिवादी क्र० 3 लगायत 6 से व्यवहार वाद 4ए/12 की अपील में राजीनामा कर प्र०डी० 2 का पारिवारिक समझौता पत्र निष्पादित किया जिसमें विवादित भूमि को सम्मिलित कर उनका भी विभाजन बिना वादी की सहमति के किए जाने का तथ्य अभिलेख पर है। इस प्रकार से खण्डन के अभाव एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य प्रमाणित हो जाता है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के संयुक्त आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है।

14. प्रकरण में स्व० भोगीराम की संपत्ति में वादी का संयुक्त रूप से आधिपत्य होना पाया गया है। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 के अधीन घोषणा की सहायता के संबंध में यह बाध्यता है कि यदि कोई सहायता जिसे वादी प्राप्त कर सकता था और उसके द्वारा दावा नहीं किया जाता है तो फिर उसे घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत मामले में जहां वादी का संयुक्त आधिपत्य होना पाया गया है और संयुक्त आधिपत्य की दशा में यह तथ्य आवश्यक नहीं हैं कि वह भौतिक रूप से संपत्ति पर आधिपत्य रखती हो, बल्कि उसका हित समाप्त न हो तब तक वह आन्वयिक आधिपत्य के अधीन संपत्ति के प्रत्येक अंश पर अंशधारी की भांति समान रूप से आधिपत्य रखती है। इस कारण से उसका प्रस्तुत वाद विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 34 से बाधित नहीं हैं। तदनुसार वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष "संयुक्त आधिपत्य में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा है" के रूप में दिया जाता है एवं वाद प्रश्न क्रमांक 6 का निष्कर्ष "पोषणीय है" के रूप में दिया जाता है।

// वाद प्रश्न क्र० 4 व 5 का निष्कर्ष //

15. वादी ने विवादित भूमि के भूराजस्व 1.70 रुपये के 20 गुना 34 रुपये तथा विवादित भवन की बाजार कीमत के 1/6 भाग अर्थात् 15 हजार रुपये को लेकर उस पर घोषणा हेतु 500 रुपये नियत न्यायशुल्क तथा निषेधाज्ञा हेतु 400 रुपये मूल्यांकन कर नियत न्यायशुल्क 100 रुपये कुल मूल्यांकन 15434 कर कुल न्यायशुल्क 600 रुपये प्रस्तुत कर सहायता चाही है। प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भवन की वर्तमान कीमत 35 लाख रुपये लेखकर उसके अनुसार वाद मूल्यांकन किए जाने का तथ्य लेखकर अपर्याप्त मूल्यांकन की आपत्ति की है। वर्तमान में विवादित भवन की कीमत 35 लाख रुपये के संबंध में कोई भी नगर पालिका का प्रमाण अथवा संपत्ति की कीमतों के संबंध में कलेक्टर द्वारा क्षेत्रवार निर्धारित कीमतों की सूची को प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी दशा में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद मूल्यांकन घोषणा एवं निषेधाज्ञा संबंधी वाद के लिए युक्तियुक्त होना प्रमाणित है।

16. प्रतिवादीगण की ओर से विवादित भूमि एवं भवन के संबंध में पूर्व से ही व्यवहार वाद की जानकारी होने के कारण वाद अवधि बाह्य प्रस्तुत किए जाने का आधार लेकर वाद के अवधि बाह्य होने का अभिवचन किया है। प्रकरण में प्र०पी०-6 के निर्णय में वादी पक्षकार नहीं हैं। स्वयं उसके अभिवचनों के अनुसार उसने अपील में मान० अपर जिला न्यायाधीश के समक्ष पक्षकार बनने हेतु आवेदन दिया था। प्र०पी० 6 का निर्णय दिनांक 29.04.14 को उद्घोषित किया गया और यह वाद उक्त निर्णय की दिनांक से यदि गणना में लिया जाए तो दिनांक 28.01.16 को प्रस्तुत किया गया, जो कि परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची 1 में अनुच्छेद 58 के अधीन अवधि बाह्य नहीं हैं। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 4 व 5 का निष्कर्ष "हाँ" के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय

17. उपरोक्त विवेचन के आधार एवं तथ्यों व साक्ष्य की अधिप्रबलता के आधार पर वादी भूमि सर्वे क्र० 1296 रकबा 0.042, सर्वे क्र० 1297/1 रकबा 0.052 तथा सर्वे क्र० 1298/1 रकबा 0.195 हे० स्थित मौजा गोहद तहसील गोहद जिला भिण्ड म०प्र० में 1/14 एवं विवादित भवन क्र० 211 स्थित गोहद बरथरा गेट वार्ड क्र० 15 में 1/14 भाग की संयुक्तरूप से स्वत्व व आधिपत्यधारी है। अतः निम्नानुसार आज्ञाप्ति प्रदान की जाती है:-

अ. वादी विवादित भूमि एवं विवादित भवन के 1/14 भाग की संयुक्ततः समान रूप से स्वत्वधारी है तथा अपने भाग का विभाजन कराकर प्रथक से आधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी है।

ब. वादी विवादित मकान में अपने अंश का विधिवत नामांतरण एवं आनुशांगिक कार्यवाही करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण स्वयं अथवा अपने हित प्रतिनिधि के माध्यम से न तो वादी के संयुक्त आधिपत्य में हस्तक्षेप करें और न हीं करावें।

स. उभय पक्षों का वाद व्यय प्रतिवादीगण वहन करेंगे। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार, जो भी कम हो, आज्ञाप्ति में जोड़ी जाये।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित
कर उद्घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित
किया गया।

(Amit kumar Gupta)
Civil judge Class-1
Gohad distt.Bhind (M.P.)

(Amit kumar Gupta)
Civil judge Class-1
Gohad distt.Bhind (M.P.)